न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 58/2018

मुखराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. दर्शनसिंह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिख निवासी 31 आर.बी.तृतीय तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर।

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पदमपुर दिनांक 16.04.2018

उपस्थितिः—

श्री विजेन्द्र घिण्टाला अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अमनदीपसिंह अभिभाषक रेस्पों.

श्री महावीर धारणीय राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 25.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 16.04.2018 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. के प्रा.पत्र पर चक 31 आर.बी. द्वितीय के मु.नं. 35, 36 के कि.नं. 21 से 25 में चालू रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने , बिना पक्षकार बनाए, राजस्थान काश्तकारी अधि. की धारा 251ए के प्रावधानों की पालना किये बिना पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के

25/5/18

है। इसके अलावा रेस्पों. को विवादित रास्ता की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. को रास्ता की आवश्यकता होने से प्रा.पत्र पेश किया एवं अपीलांट के कथनों को अधी. न्यायालय में सुना नहीं गया इस तथ्य को रेस्पों. अभिभाषक द्वारा स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट जिन पदचिन्हों पर चलकर आ रहा है एवं अपील मीमों में जो आपत्तियां उसके द्वारा उठाई गई हैं उनको वकील रेस्पों. द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व दूसरे पक्ष को सुना जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसकी पालना अधी. न्यायालय द्वारा नहीं की गई है के अलावा जहां रास्ता स्वीकृत किया है, फकीरवाली को जोडने वाला स्वीकृतशुदा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए एवं इसकी कियान्वति हेतु बने संशोधित राजस्थान काश्तकारी संशोधन 2012 के नियम 69 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय नियम विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2018 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर